17.4.26

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी S.M. माहिर उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित, प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से अधिवक्ता प्रार्थी कि एक तरफा बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया की मौजा लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया के खाता सं. नया 304 पुराना 261 मे वर्णित आराजी 2368/8, 3647/2, 3647/3 किता 03 कुल रकबा 2.2140 हैक्टेयर भूमी, एवं खाता सं. 305 (नया), पुराना, 262 मे

10-4-26

क्रम / हस्ताक्षर पार्टी	कार्यवाही विवरण

मे वर्णित आराजी 2326, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376 2377, 2381, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2416, 2417, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2432 2433, 2434, 2436, 2437 किता 30 कुल रकबा 6.8904 हैक्टेयर भूमी स्थित है। जो की प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमी है, अप्रार्थी संयुक्त सम्पति को विक्रय करने की नियत से सम्पूर्ण संयुक्त भूमी पर कब्जा किया जा रहा है तथा मकान निर्माण करने हेतु पत्थर डाले जा रहे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से मना किया तो अप्रार्थीयो की संख्या ज्यादा होने व अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी के साथ मारपीट करने को उतारु हो गये अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, अतः अपनी अन्तिम बहस के अंत मे अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से रोकने व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने तथा उक्त भूमी को बेचान खुर्द-बुर्द नही करने बाबत मूल वाद निस्तारण होने तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने का निवेदन किया गया। हमने प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया मौजा लसाड़िया के खाता सं. 304, 305 मे वर्णित वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमी है, जब तक संयुक्त खातेदारी भूमी का विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक खेवट का मालीक एवं स्वामी होता है अप्रार्थी संयुक्त भूमी पर कब्जा करने हेतु आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रतित होता है ऐसी स्थिती मे अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से रोका जाना उचित प्रतित होता है।

फर्द अहकाम

यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (रा

बनाम

पत्रावली संख्या सन

रीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
	अत: मौजा लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 304, 305 मे वर्णित वाद ग्रस्त आराजीयात की भूमि के मौके एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति व संयुक्त सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं करने हेतु उभयपक्ष को मूल वाद (निस्तारण) होने तक उक्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है साथ ही तहसीलदार लसाडिया को जमाबन्दी मे स्थाई निषेधाज्ञा का नोट अंकित करने हेतु लिखा जावे, ता फैसला मूल वाद के साथ संलग्न रहे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	